चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : गोप0 / 1402
दिनांक : 16.07.24

अनुस्मारक–3

अतिमहत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता
विज्ञप्ति

विषय : एलएल0एम0 चतुर्थ सेमेस्टर जून–2024 के लघुशोध ग्रन्थ विश्वविद्यालय में जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति संख्या–गोप0 / 792, दिनांक 29.04.2024, विज्ञप्ति संख्या–गोप0 / 1098, दिनांक 01.06.2024 एवं विज्ञप्ति संख्या–गोप0 / 1189, दिनांक 15.06.2024 द्वारा सूचित किया गया था कि इस वर्ष विश्वविद्यालय का **36वां दीक्षान्त समारोह** आयोजित किया जाना है एवं समय से परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने हैं। पुनश्चः अवगत कराया जाता है कि दीक्षान्त समारोह अगस्त–2024 में सम्भावित है और जून–2024 के अन्त तक सभी परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने हैं।

अतः समस्त महाविद्यालयों / संस्थानों के प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक से अनुरोध है कि अपने छात्र / छात्राओं के **एलएल0एम0 अन्तिम सेमेस्टर जून–2024 के लघुशोध ग्रन्थ** विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग की खिड़की संख्या–40 पर दिनांक 22.07.2024 तक अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें ताकि उक्त लघुशोध ग्रन्थों का मूल्यांकन कराकर परीक्षाफल समय से घोषित किया जा सके। यदि किसी प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक द्वारा उक्त तिथि तक लघुशोध ग्रन्थ जमा नहीं किये जाते हैं और उनके अभाव में किसी भी छात्र / छात्रा का परीक्षा परिणाम अपूर्ण रहता है और छात्र / छात्रा किसी भी लाभ से वंचित रह जाती है तो उसका समस्त दायित्व सम्बन्धित प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक का होगा।

16/07/24

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियन्त्रक को परीक्षा नियन्त्रक जी के सूचनार्थ।
4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों / संस्थानों के प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी वेबसाईट को इस आशय से कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता को इस निर्देश के साथ कि छात्र हित में उक्त सूचना विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त जिलों के सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।

कार्यालय अधीक्षक (गोपनीय)